

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक— / पटना, दिनांक—
03 नि. प्रशिक्षण डी०एन०एस०-04 / 2020

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.),
बिहार, पटना।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2024-25 में 900 सहकारिता प्रसार पदाधिकारी हेतु दीप नारायण सिंह, क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पटना में प्रस्तावित 02 दिवसीय प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम (Refresher Course) हेतु प्रशिक्षण शुल्क की अनुमानित राशि 22,28,400/- (बाईस लाख अठ्ठाईस हजार चार सौ रु०) मात्र के भुगतान हेतु निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

महाशय,

निदेशानुसार कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-10437 दिनांक-30.12.2024 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 900 सहकारिता प्रसार पदाधिकारी हेतु दीप नारायण सिंह, क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पटना में प्रस्तावित 02 दिवसीय प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम (Refresher Course) हेतु प्रशिक्षण शुल्क की अनुमानित राशि 22,28,400/- (बाईस लाख अठ्ठाईस हजार चार सौ रु०) मात्र के भुगतान हेतु निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत मांग संख्या-09, मुख्य शीर्ष-2425 सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-003 प्रशिक्षण, उप शीर्ष-0102 विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान विस्तृत शीर्ष-20, अन्य प्रशासनिक व्यय विषय शीर्ष-03 प्रशिक्षण व्यय विपत्र कोड-09-2425000030102 राज्य योजना से विकलनीय होगी।

3. उक्त स्वीकृत राशि का वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रशिक्षण के उपरांत संस्थान से प्राप्त विपत्र के आधार पर निकासी एवं भुगतान किया जायेगा।

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे जो उपलब्ध आवंटन के अन्तर्गत दीप नारायण सिंह, क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पटना से प्राप्त विपत्र के विरुद्ध स्वीकृत राशि का विपत्र BTC FORM-25 में तैयार कर सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना में प्रस्तुत करेंगे और राशि की निकासी कर भारतीय स्टेट बैंक, शाखा-पटेल नगर, पटना-23, IFSC CODE -SBIN0004386, A/C NO-30923505568 में स्थानांतरित करेंगे। इसके लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं संकल्प संख्या-7245 दिनांक-26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

6. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

7. स्रोत पर अनुमान्य कटौती सुनिश्चित की जाये।

8. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या-03 नि. प्रशिक्षण डी०एन०एस०-04/2020 के पृष्ठ 76/टि० पर दिनांक-01.01.2025 को प्राप्त है।

9. इस राशि की स्वीकृति सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या-03 नि. प्रशिक्षण डी०एन०एस०-04/2020 के पृष्ठ 78/टि० पर दिनांक-03.01.2025 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अभय कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक.....396...../पटना, दिनांक...07/01/2025.

03/ नि. प्रशिक्षण डी०एन०एस०-04/2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा बिहार, पटना) एवं निदेशक, दीप नारायण सिंह, क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सचिव, सहकारिता विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव/निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/अवर सचिव प्रभारी प्रशाखा-03 सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विपत्र लिपिक कार्यालय निबंधक सं०स०, बिहार, पटना/आईटी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि स्वीकृत्यादेश के आलोक में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को राशि आवंटित की जाय।

07-01-2025

सरकार के अपर सचिव।